मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसान हितों के प्रति संवेदनशील

प्रदेश में मांग अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति एवं अतिरिक्त आपूर्ति की कार्यवाही जारी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राज्य सरकार और कृषि विभाग द्वारा किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष रूप से यूरिया और डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा उर्वरकों की दैनिक उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों व ब्लॉकों को चिन्हित कर प्रदेश भर में प्राथमिकता के साथ पूर्ण पारदर्शिता से डीएपी व यूरिया का वितरण किया जा रहा है। उर्वरकों की कालाबाजारी व जमाखोरी को रोकने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी प्रदेश भर में पूर्ण सतर्कता से कार्य कर रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा निरंतर केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश की मांग अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति करवाई जा रही है।

राज्य के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खरीफ 2025 में अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 8 लाख 82 हजार मैट्रिक टन यूरिया के विरुद्ध अब तक 8 लाख 23 हजार मैट्रिक टन की आपूर्ति की जा चुकी है। अगस्त माह की शेष अवधि में 59 हजार मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

माह अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 4 लाख 75 हजार मैट्रिक टन डीएपी के विरुद्ध अब तक 3 लाख 59 मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति की जा चुकी हैं, शेष 27 हजार मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति प्रस्तावित है।

प्रदेश में वर्तमान में 1 लाख 86 हजार मैट्रिक टन यूरिया, 1 लाख 20 हजार मैट्रिक टन डीएपी, 0.81 लाख मैट्रिक टन एनपीके एवं 1 लाख 93 हजार मैट्रिक टन एसएसपी उर्वरकों का स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान में गत वर्ष की तुलना में फॉस्फेटिक उर्वरकों का स्टॉक 1 लाख मैट्रिक टन अधिक है एवं आपूर्ति जारी है। यूरिया की लगभग 8000 मैट्रिक व डीएपी की 10 हजार 900 मैट्रिक उर्वरक रेल द्वारा परिवहन में है।

- **खरीफ 2025 में अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 8 लाख 82 हजार मैट्रिक टन यूरिया के विरुद्ध अब तक 8 लाख 23 हजार मैट्रिक टन की आपूर्ति की जा चुकी है।**
- **अगस्त माह की शेष अवधि में 59 हजार मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।**

केंद्र सरकार की ओर से यूरिया, डीएपी एव अन्य उर्वरकों का राज्यों को माहवार व कंपनीवार आवंटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन एवं जिलों की मांग के अनुसार जिलेवार आपूर्ति योजना तैयार कर प्रदेश में उर्वरकों को वितरण कराया जाता है।

राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध हो कर कार्य कर रही है और यह सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है कि खेती-किसानी में किसी प्रकार की बाधा न आए। यूरिया एवं डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता के साथ-साथ उनकी उचित कीमत पर आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है।

कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित सिफारिश के अनुसार ही उर्वरकों के उपयोग हेतु प्रेरित करने, उर्वरकों का समान रूप से पारदर्शिता के साथ वितरण कराने और उर्वरक वितरण में अनियमित्ता बरतने वाले विक्रेताओं, जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

विभाग द्वारा समस्त किसानों को समान रूप से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लिए कृषकों को पंक्तिबद्ध किया जाकर उर्वरकों का वितरण प्रशासन के सहयोग एवं विभागीय कार्मिकों की देख-रेख में किया जा रहा है। राज्य में सरसों फसल की अग्रिम बुवाई करने वाले जिलों में किसानों द्वारा डीएपी का क्रय कर अग्रिम भण्डारण किया जा रहा है।

जयपुर जिले से 4905 वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा तीर्थ यात्रा का अवसर

जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने निकाली ऑनलाइन लॉटरी

जयपुर । राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 के तहत जयपुर जिले के 4 हजार 905 वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर मिलेगा। मंगलवार को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की मौजूदगी में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने ऑनलाइन लॉटरी निकालकर सफल आवेदकों की घोषणा की।

- **देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि रहे मौजूद**
- **526 सफल आवेदक हवाई जहाज से तथा 4379 रेल से करेंगे तीर्थ यात्रा**

देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की मौजूदगी में जयपुर जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 की ऑनलाइन लॉटरी निकालकर सफल आवेदकों की घोषणा की।

प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारी धरोहर हैं। उनके जीवनभर के अनुभव और आशीर्वाद से समाज व देश आगे बढ़ता है। सरकार का यह प्रयास है कि हमारे वरिष्ठ जन अपनी जीवन यात्रा के इस पड़ाव पर धर्म, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ सकें। तीर्थ यात्रा योजना न केवल धार्मिक स्थल दर्शनों का अवसर प्रदान करती है, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के मनोबल को भी सशक्त करती है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत हवाई यात्रा एवं रेलयात्रा सहित प्रदेश के कुल 56 हजार वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा का अवसर दिया जा रहा है, जिसमें से जयपुर जिले के 4 हजार 905 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। इनमें से 526 यात्री हवाई मार्ग से काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा करेंगे, जबकि 4 हजार 379 यात्री रेल मार्ग से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। योजना के तहत जयपुर जिले के कुल आवेदन 11 हजार 378 एवं कुल यात्री 18 हजार 423 प्राप्त हुए।

उन्होंने बताया कि रेल यात्रा के लिए चयनित वरिष्ठ नागरिकों को हरिद्वार-ऋषिकेश-अयोध्या-वाराणसी-सारनाथ, सम्मेदशिखर-पावापुरी-वाराणसी-सारनाथ, मथुरा-वृंदावन-बरसाना-आगरा-अयोध्या, द्वारकापुरी-नागेश्वर-सोमनाथ, तिरुपति-पदमावति, कामाख्या-गुवाहाटी, गंगासागर-कोलकाता, जगन्नाथपुरी-कोणार्क, रामेश्वरम-मदुरई, वैष्णो देवी-अमृतसर-वाघा बोर्डर, गोवा के मंदिर एवं अन्य स्थल चर्च आदि, महाकालेश्वर-उज्जैन-ओंकारेश्वर-त्र्यम्बकेश्वर-घृष्णेश्वर-ऐलोरा, बिहार शरीफ, पटनासाहिब पटनाबिहार, श्री हजुर साहिब नांदेड़ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाया जाएगा।

इस अवसर पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर देकर उनके जीवन में आध्यात्मिक संतोष और मानसिक शांति का संचार करती है। यह यात्रा ना केवल व्यक्तिगत अनुभव है बल्कि सामूहिकता, मेल-जोल और सामाजिक संबंधों को भी सुदृढ़ करती है।

उन्होंने बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के यात्री अपने साथ एक अटेंडेंट ले जा सकते हैं। साथ ही, यदि पति-पत्नी में से एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक और दूसरे की आयु 58 वर्ष है तो दोनों को एक साथ यात्रा की अनुमति है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिए प्रत्येक दल के साथ चिकित्सा स्टाफ, सुरक्षा कर्मी और सरकारी कर्मचारी यात्रा करेंगे।

राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक चंद्रप्रकाश आक्या, जीवाराम चौधरी, अशोक कोठारी, प्रियंका चौधरी जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) देवेन्द्र कुमार जैन और देवस्थान विभाग के अतिरिक्त निदेशक रतनलाल योगी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

नामांकन के बाद विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित हों : राज्यपाल

शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए निरंतर कार्य हो, ताकि राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बने : हरिभाऊ बागड़े

जयपुर । राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कुलगुरुओं को व्यक्तिगत रुचि लेकर शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए कार्य करने का आव्हान किया है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में नामांकन के बाद विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, इस हेतु अच्छे ढंग से पढ़ाने, रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों से उन्हें जोड़ने आदि के लिए भी कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने राजस्थान को उच्च शिक्षा में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में सुधार हो, नहीं तो उनके खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।

राज्यपाल बागडे मंगलवार को राजभवन में विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू करने, विश्वविद्यालयों में नैक एक्रिडिएशन की कार्यवाही पूर्ण करने, वहां उपलब्ध लैब, पुस्तकालय, खेल मैदानों और छात्रावास के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में एक समान प्रश्नपत्र और पाठ्यक्रम लागू किए जाने की व्यावहारिकता के बारे में भी सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के गोद लिए गांवों को पिपलांत्री पैटर्न पर विकसित किया जाए। वहां पर अच्छे छायादार पौधे, फल, प्राकृतिक खेती के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित कर कार्य किया जाए।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में शोध के अंतर्गत मौलिक दृष्टि रखे जाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में पेंशन, वेतनमान आदि के लिए भी राज्य सरकार स्तर पर संवाद कर सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मंगलवार को राजभवन में विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक ली।

उन्होंने निजी और राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में अच्छे से अध्ययन कराने और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के लिए निरंतर कार्य करने की आवश्यकता जताई।

उन्होंने कहा कि यह हमारा राष्ट्रीय दायित्व है कि हम विद्यार्थियों को देश का सुयोग्य नागरिक बनाए। बैठक में विश्वविद्यालयों में कुलगुरु के कार्यकाल की अवधि तीन से पांच वर्ष किए जाने संबंधित सुझावों के साथ बैठक में सभी विश्वविद्यालयों में प्रो वाइस चांसलर बनाने, वहां पर भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी तैयार करने, नवाचारो के आलोक में भारतीय ज्ञान परम्परा के अंतर्गत भारत विद्या अनुसंधान केन्द्र खोले जाने आदि पर भी चर्चा हुई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका ने प्रदेश में विश्वविद्यालयों में कॉमन भर्ती बोर्ड, डिजिटल कनेक्टिविटी और रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों के लिए विशेष प्रयास किए जाने के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय जो नवाचार करें, उसे विश्वविद्यालय पोर्टल पर डाला जाए। उन्होंने राज्य सरकार से जुड़े विश्वविद्यालयों मुद्दों के जल्द निस्तारण का भी विश्वास दिलाया।

राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वी ने आरंभ में विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े विषयों और संबंधित कार्यों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं ने उच्च शिक्षा में नवाचार अपनाते हुए राज्य को उच्च शिक्षा में श्रेष्ठतम बनाए जाने से संबंधित सुझाव दिए।

राज्यपाल बागडे ने बैठक के बाद राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के न्यूज लेटर का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. रोशन लाल रैना द्वारा लिखी पुस्तक का भी विमोचन किया।

'भजनलाल सरकार ने 80-90 प्रतिशत बजट घोषणाओं को क्रियान्वित किया'

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने मंगलवार को जयपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संवाद में सांसद एवं विधायकों को केन्द्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों को अधिक से अधिक आमजन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का आग्रह किया है।

चतुर्वेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने बजट की 80 से 90 प्रतिशत से अधिक बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन किया है। राम जलसेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौतों को मूर्त रूप प्रदान किया। वहीं, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में ईआरसीपी की योजनाओं पर गंभीरता से कार्य नहीं हुआ और केवल राजनीति हुई। उस समय जब तत्कालीन जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जल परियोजनाओं पर बैठक लेने आए तो पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री बैठक से नदारद रहे। चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य सरकार ने हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास के लिए कार्य किया है। लगभग 75 हजार पदों पर सरकारी नियुक्तियां प्रदान की गई। आने वाले कुछ दिनों में 15-20 हजार सरकारी भर्तियों की घोषणा होने वाली है। हमारी सरकार, पहली सरकार है जिन्होंने सरकारी भर्तियों का कैलेण्डर जारी किया है। उन्होंने कहा कि यूरिया और खाद की आपूर्ति प्रदेशभर में सुनिश्चित की जा रही है तथा इनकी कालाबाजारी को प्रभावी रूप से रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर में मंगलवार को सिंजारा और मेहन्दी पूजन कार्यक्रम हुआ। महन्त कैलाश शर्मा ने भगवान गजानन्द को मेहन्दी अर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं में उसे वितरित किया। पाली के सोजत से करीब 3100 किलो मेहन्दी मंगवाई गई थी।

'दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आवेदन ऑनलाइन प्रोसेस करें'

जयपुर । प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किए जाने के निर्देश जारी किये गये। बैठक में मौसमी बीमारियों सहित विषयों पर भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. अमित कुमार यादव, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ.टी. शुभमंगला, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने मौसमी बीमारियों, टीबी मुक्त अभियान, एनसीडी गतिविधियों, यूडीआईडी कार्ड, मेडिको लीगल केस, अपंजीकृत चिकित्सक एवं प्रयोगशालाओं के विरूद्ध की गयी कार्यवाहियों, आरजीएचएस व आयुष्मान योजना, राज हैल्थ पोर्टल पर चिकित्सा संस्थानों व स्वास्थ्यकार्मिकों की मैपिंग कार्य के दिशा-निर्देश दिये।

जल जीवन मिशन के 900 करोड़ के टैंडर घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को राहत नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने महेश जोशी की जमानत याचिका खारिज की

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े ईडी प्रकरण में आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में महेश जोशी की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिए। एकलपीठ ने गत 8 अगस्त को मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।

इस मामले में ए.सी.बी. की 2 तथा सीबीआई की एक एफ.आई.आर. समेत कुल 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जिससे ईडी की ओर से चारों मामलों को संयुक्त तरीके से जांचा जा रहा है। इस मामले में ईडी की ओर से अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने हाईकोर्ट में बताया कि, पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में मंत्री जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी ने इस जल जीवन मिशन घोटाले में मुख्य भूमिका निभाई है। अगर महेश जोशी, मंत्री के पद पर नहीं होते तो इस घोटाले को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। उन्होंने कहा कि, इस मामले में मुख्य दलाल संजय बडाया, पदमचंद जैन, महेश जोशी व उनके पुत्र रोहित जोशी, मंगललाल सैनी समेत 18 लोगों की भूमिका संदिग्ध है।

ईडी की ओर से कहा गया कि, इस मामले में संजय बडाया ने पदमचंद जैन और पीयूष जैन को 900 करोड़ रु. का टैंडर दिलवाया। परंतु जल जीवन मिशन में टैंडर डालने के लिए सिर्फ वहीं कंपनियां भाग ले सकती थी, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत "ईरकॉन इंटरनेशनल लि." द्वारा मान्यता प्राप्त हो। गौरतलब है कि इस मामले में जिन कंपनियों को 900 करोड़ रु. तक के टैंडर दिए गए, उनमें से किसी के पास भी यह सर्टिफिकेट नहीं था। इन फर्मों ने फर्जी दस्तावेज और सर्टिफिकेट लगाकर यह टैंडर हासिल किए थे। ई.डी. की जांच में यह भी सामने आया कि, पीएचईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी पारितोष गुप्ता ने फर्जी सर्टिफिकेट की जांच करने हेतु "ईरकॉन" को सत्यापन के लिए ई-मेल भेजा था। जिस पर "ईरकॉन" की ओर से जवाब दिया गया था कि उन्होंने इन कंपनियों को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, जिन्होंने राजस्थान में जल जीवन मिशन के टैंडरों में भाग लिया। जैसे ही तत्कालीन मंत्री महेश जोशी को इस बात का मालूम चला तो अधिकारी पारितोष गुप्ता का अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया गया था।

- **ईडी की ओर से अदालत में कहा गया कि, पदमचंद जैन और अन्य लोगों की फर्मों ने फर्जी "ईरकॉन सर्टिफिकेट" पेश करके यह टैंडर हासिल किए थे**
- **ईडी का कहना था कि, इस 900 करोड़ के टैंडर में से 620 करोड़ रु. तो पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार के समय ही रिलीज कर दिए थे, जबकि इन फर्मों का काम आंशिक हुआ था**
- **ईडी का कहना है कि, मामले में घोटाले की पूरी राशि 625 करोड़ रु. मानी जानी चाहिए, हालांकि उनके पास 5.50 करोड़ की घूस राशि के लेन-देन का पुख्ता सबूत है। अभी भी ई.डी. इस मामले में जांच कर रही है।**

ई.डी. का कहना है कि, इस 900 करोड़ रु. का टैंडर मिला। इसमें से पिछली अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में ही 625 करोड़ रु. की मंजूरी दी जा चुकी थी तथा 620 करोड़ रु. रिलीज कर दिए गए थे। जबकि इन फर्मों द्वारा आंशिक कार्य ही किया गया था।

ई.डी. का कहना है कि, इस 625 करोड़ रु. की राशि को ही घोटाले का मूल आधार माना जाए। ईडी की जांच में 5.5 करोड़ रु. की धांधली का स्पष्ट उजागर हुई है। इसमें से 3.3 करोड़ रु. संजय बडाया ने बतौर कमीशन नकद लिया। शेष 2.1 करोड़ रु. का 50 प्रतिशत हिस्सा महेश जोशी के बेटे की कंपनी में दिया गया। बाकी बचे हुए 1.06 करोड़ रु. महेश जोशी के बेटे ने संपत्ति खरीदी।

ईडी की ओर से अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने कहा कि महेश जोशी के बेटे की फर्म "शुभ मंगलम" में 50 लाख रुपए का लेनदेन किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से इस राशि को लौटाना भी बताया जा रहा है तो राशि लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती है। वहीं महेश जोशी की ओर से जमानत याचिका में अदालत को बताया कि प्रकरण में उसे फंसाया गया है। प्रकरण को लेकर एसीबी में दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। याचिकाकर्ता को एक साल पहले नोटिस दिया गया। इसके बाद बिना कोई परिस्थिति बदले उसे गत अप्रैल माह में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा ईडी याचिकाकर्ता पर 2.01 करोड़ रुपए का आरोप लगा रही है, जबकि इसे लेकर ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है और परिवादी यह राशि कहां से लाया, उसका भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन बता रही है। यह राशि बेटे की कंपनी ने लोन के तौर पर ली थी और उसे लौटाया भी जा चुका है। वहीं इस राशि को लेकर सिविल केस भी लंबित चल रहा है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए।

हालांकि जिरह के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि संजय बडाया के कहने पर ही पदमचंद जैन व अन्य कंपनियों ने महेश जोशी के बेटे की फर्म में 50 लाख रु. डाले थे। ईडी ने जब उनसे पूछा कि क्या वह महेश जोशी के बेटे को जानते है अथवा पहचानते है तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर ईडी की ओर से कहा गया कि, यह घूस की राशि है, ऐसे अनजान लोगों को ऋण कौन देता है। याचिकाकर्ता और उसके बेटे ने विभाग की टैंडर प्रक्रिया में रिश्वत प्राप्त की है। यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी महेश जोशी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

मंत्री अविनाश गहलोत ने की समाज कल्याण से जुड़े कार्यों की समीक्षा

बजट घोषणाओं की शत प्रतिशत क्रियान्विति करने के निर्देश दिए

जयपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति शत-प्रतिशत होना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि घोषणाओं के बेहतर क्रियान्वयन से ही आमजन को लाभ पहुंच सकता है। गहलोत मंगलवार को मुख्यालय के अंबेडकर भवन के सभागार में आयोजित विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने बजट घोषणा वर्ष 24-25 एवं 25-26 की बिंदुवार प्रगति रिपोर्ट ली और लंबित कार्यों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधानसभा में विशेष योग्यजन, पेंशन, छात्रवृति, महिला कल्याण, छात्रावास सहित अन्य विषयों से जुड़े प्रश्नों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा समाज के वंचित तबके को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित करना है। उन्होंने बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की वार्षिक भौतिक सत्यापन की स्थिति, छात्रवृति की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में चयनित अभ्यर्थियों में से कोचिंग संस्थानों में ज्वाइन किए गए अभ्यर्थियों की जिलेवार स्थिति, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, पालनहार, कन्यादान योजना, कामकाजी महिला छात्रावास योजना, अंबेडकर डीबीटी योजना से लाभान्वित और व्यय, आवासीय विद्यालयों की स्थिति, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में प्राप्त बजट एवं व्यय की स्थिति, डॉ सविता बेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में प्राप्त बजट, लाभान्वित और व्यय की स्थिति, आदर्शग्राम योजना, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु संचालित योजनाओं की स्थिति, नशा मुक्त भारत अभियान, नवजीवन योजना, देवनारायण योजना, मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से प्रगति जानी और आवश्यक निर्देश भी दिए। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने कहा कि वर्ष 2024-25 की कुल 26 बजट घोषणाओं में से 13 पूर्ण हो चुकी हैं, 10 प्रगतिरत हैं। जबकि 3 प्रक्रियाधीन है। वहीं वर्ष 25-26 की 15 घोषणाओं में से 8 पूर्ण हो चुकी हैं, 4 प्रगतिरत है, जबकि 3 प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि सभी घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है।बैठक में आयुक्त निदेशालय विशेष योग्यजन केसर लाल मीना, वित्तीय सलाहकार अंजू सिंह, निजी सचिव रोहित पटेल, अतिरिक्त निदेशक हरिसिंह मीना, रीना शर्मा, सुण्डाराम मीना, अशोक जांगिड़, अरविन्द कुमार सैनी, अनुजा निगम के वीरेन्द्र सिंह सहित बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक लेकर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति जानी।